



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.07.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वाछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे घटना में प्रयुक्त 01 उस्तरा बरामद ।

दिनांक 03.07.25 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री पर उसके पति द्वारा जान से मारने की नीयत से गर्दन पर उस्तरा से प्रहार करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.07.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वाछित अभियुक्त मुकेश पुत्र जीवन सिंह निवासी एंचौली थाना टांडा जिला मुरादाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष हाल पता महल कॉलोनी बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 उस्तरा बरामद हुआ । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करती थी । मेरे काफी मना करने के बाद भी उसने फोन पर बात करना बन्द नहीं किया था और मना करने पर मुझे गाली गलौच करना शुरू कर दिया जिससे मैंने गुस्से में आकर उस्तरा से उसकी गर्दन पर मार दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुकेश पुत्र जीवन सिंह निवासी एंचौली थाना टांडा जिला मुरादाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष हाल पता महल कॉलोनी बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 उस्तरा बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 13.07.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को पडोस में रहने वाले अभियुक्त रहमान पुत्र अरमान द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 137(2)/351(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन कर पीडिता की तलाश की गई । तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया एवं पीडिता का मेडीकल परीक्षण कराया गया ।

दिनांक 16.07.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रहमान पुत्र अरमान निवासी अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को सभापुर अण्डरपास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों आपस में एक दूसरे के पडोस में रहते हैं तथा हमारी पिछले करीब 01 वर्ष से हमारी आपस में बातचीत थी । मैं मौका पाकर पीडिता को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रहमान पुत्र अरमान निवासी अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त रहमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 13.07.25 को आगन्तुक निवासी ग्राम सद्दीकपुर जनपद हापुड़ ने थाना कविनगर पर तहरीर दी कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.07.25 को अभियुक्त 1. लक्की पुत्र बबली नागर निवासी ग्राम इकला थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष व दीपराज नागर पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम इकला थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को महरौली अंडरपास के नीचे चौकी औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

- 1- लक्की पुत्र बबली नागर निवासी ग्राम इकला थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष
- 2- दीपराज नागर पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम इकला थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम